

FORM No. III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम दीगोद


पुशुलाल बनाम श्री श्री विन्दिता मालाजी सरस्वती

किस्म मुकदमा ४४-४९-१४४ नं. १५ सन् २०१४

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>20/10/14</u>	

4/5/14
 वादी वकील पुशुलाल वी ओर से वकील श्री धीतलाल गिष्या द्वारा उत्तुत रिप गथा रिपट जारीता वय अवलेकन रिपट गथा प्रस्तावगत वी तली ओर सभत वी जावत पत्रवली दिनांक 7/5/14 वी लोक अदालत के म्य मुकदमा नं. 44-49-144 में पेश की

7/5/14
 पत्रवली लोक अदालत के म्य ओर में पेश हुई। वादी एवं ग्राम पालिकान कालोरेवा मजमे काम में उपस्थित। वादी ने रुधन डिपे कि प्रलिवादी नं. 1 का मन्दिर वादी की खोलेदारी भूमि में बना हुआ था। जो वादी द्वारा मन्दिर के पक्ष में जरिये न्यायालय आदेश छोड़ दी गई थी। किन्तु उक्त निर्णय के पश्चात पत्रवली


 पुशुलाल
 वकील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर उत्तर में जो हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	---------------------------------	---

गिरिश खारोल वादी के वाद दर्ज की जावे तथा वादी
 के जालेदारी कारापी खं.नं. 130/387
 रकबा 0.38 हे. मे से 0.08 हे. उत्तरी दिशा
 की भूमि वादी के जाले से कम करके
 हुए मूर्ति मन्दिर के वाद दर्ज की जावे।
 वादी के अन्वये व समर्पन ग्राम कालिपान
 कालोरेवा द्वारा भी किया गया तथा
 समर्पन ग्राम में और द्वारा दस्त बाबत
 रकबा 0.08 हे. किया गया। पत्रावली का क्लोसिंग
 किया तथा वादी एवं ग्राम कालिपान
 के अधीन के कारापी पर वाद वादी
 स्वीकार योग्य है। कल: वाद वादी
 कांशु स्वीकार किया जाकर आदेश दिमे
 जाते हैं कि ग्राम कालोरेवा तहसील दोगोद
 तहसील खं. नं. 465/130 रकबा 0.08 हे. भूमि का
 जो प्रतिकारी नं. 1 के जाले में दर्ज है, का वादी
 को जालेदार घोषित किया जाता है तथा खं. नं.
 130/387 रकबा 0.38 हे. भूमि जो वादी के जालेदारी
 में दर्ज है, मे से रकबा 0.08 हे. भूमि (उत्तर
 दिशा) का प्रतिकारी नं. 1 को जालेदार घोषित
 किया जाता है। एतनुसार डिप्टी जारी हो।
 निर्णय मजमे काम में सुनाया गया। पत्रावली
 कल: शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

ग्राम पंचायत में
 पंचायत समिति सुल्तानपुर

दर्ज के जारी डिप्टी का क्लोसिंग